भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2667
दिनांक 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध रोकथाम योजना का कार्य निष्पादन

†2667. श्री जय प्रकाशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सशक्त साइबर अपराध रोकथाम योजना लागू होने के बाद, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत 132.93 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है।

ii. 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मेघालय, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव, पंजाब, त्रिपुरा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और दिल्ली में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं चालू की गई हैं। तमिलनाडु में प्रयोगशाला केवल आंशिक रूप से कार्यात्मक है।

iii. जांच और अभियोजन पर बेहतर ढंग से कार्रवाई करने के लिए एलईए कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत 24,600 से अधिक एलईए कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है।

iv. साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) को दिनांक 20.09.2018 को लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसने नागरिकों को बाल पोर्नोग्राफी (सीपी)/बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) सामग्री से संबंधित ऑनलाइन सामग्री की रिपोर्ट करने की सुविधा दी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 30.08.2019 को एक संशोधित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था।

v. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) एवं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को क्रमशः दिनांक 13.08.2018 तथा दिनांक 13.03.2024 को चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी), बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) सामग्री को हटाने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(ख) के तहत मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

vi. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी),भारत तथा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच दिनांक 26.04.2019 को ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री पर एनसीएमईसी से टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vii. साइबर अपराधों पर रणनीतिक तरीके से अंकुश लगाने और त्वरित कार्रवाई करने की दृष्टि से, गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए

दिनांक 01.07.2024 को एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

*****